04/2023

16.5.2024 वादिनी एवं उनके वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली आज तलब की गयी।

वादिनी वकील ने अपने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना एवं गांव के गणमान्य लोगों से प्रेरित होकर समझौता हो गया है अतः समझौता के आधार पर वे वाद की कार्यवाही को लम्बित विड्रो के लम्बित कराना चाहते हैं।

हमने वादिनी वकील की बहस पर मनन पूर्वक दस्तावेजों तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति एवं सद्भावना से प्रेरित होकर समझौता हो जाने से पक्षकारान अपने वाद पत्र को लम्बित समझौता के विड्रो कराना चाहते हैं।

चिलपा वादिनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और इसी रूप पर पत्रावली समझौता विड्रो के लम्बित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

SDO जिण्धरी

विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।
श्रीमती बीबादेवी
(वादी बीबादेवी के वकील)
दि. 16/5/2024

विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।
श्रीमती बीबादेवी
(वादी अधिवक्ता)
दि. 16/05/24